५·११·२०२५

पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप/प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर निर्णय खुलेइजलास सुनाया गया। पत्रावली तकमीली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉंगोद जिला कोटा।

बइजलास रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 01/2020 दावा/बउनवान/रामस्वरूप/गायत्रीबाई

रामस्वरूप पुत्र श्री मथुरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सॉंगोद जिला कोटा।

—प्रार्थी—

—बनाम—

1. श्रीमती गायत्री पत्नी श्री राधाकिशन जाति धाकड निवासी ग्राम मालीहेडा,
2. श्रीमती लाडकंवर पत्नी श्री धनराज जाति धाकड निवासी ग्राम मालीहेडा,
3. श्रीमती सन्तोषबाई पत्नी श्री माणकचन्द जाति धाकड निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सॉंगोद जिला कोटा,
4. राज्य सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉंगोद जिला कोटा।

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::— दिनॉक :- 4/11/24

प्रार्थी की ओर से इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 521 रकबा 0.77 हैक्टर आराजी एवं अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 के खाते की खसरा नंबर 521/637 रकबा 0.77 हैक्टर वाके ग्राम मालीहेडा तहसील सॉंगोद जिला कोटा में स्थित है। प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 521 में आवागमन करने का एकमात्र पीढियों पुराना पारम्परिक रास्ता अप्रार्थी कं. 1 लगायत 3 के खाते की आराजी खसरा नंबर 521/637 में पूर्वी मेड पर होकर बदस्तूर चला आ है जिसे नजरी नक्शे में **A** से **B** बिन्दु से दर्शाया गया है। उक्त **A** से **B** पारम्परिक रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 521 में आवागमन करने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रार्थी व अप्रार्थी कं. 1 लगायत 3 की आराजी मूल खसरा नंबर 521 रकबा 1.54 हैक्टर से निर्मित किये गये हैं जो पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

में एक ही चक था जो ग्राम मालीहेडा से सुनारों के कुऐं तक जाने वाली गडार से लगवा स्थित था तथा बाद में खसरा नंबर 521 रकबा 1.54 हैक्टर को विभाजन वाद संख्या 62/2016 बउनवानी लाडकुंवर वगैरा बनाम रामस्वरूप वगैरा में पारित अन्तिम निर्णय–डिक्री दिनॉक 15.05.2017 की पालना में दो भागों में विभक्त कर दिया गया जिसमें गडार(रास्ते) से संलग्न खसरा नंबर 521/637 रकबा 0.77 हैक्टर अप्रार्थी कं. 1,2,3 के हिस्से में एवं पीछे का हिस्सा खसरा नंबर 521 रकबा 0.77 हैक्टर प्रार्थी के हिस्से में आया किन्तु वक्त विभाजन प्रार्थी के हिस्से में आवागमन करने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं होने से प्रार्थी के हिस्से की आराजी में आवागमन करने के A से B प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हो सका जिसके कारण अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 आये दिन प्रार्थी को उपरोक्त प्रचलित पुरातन रास्ते में होकर आवागमन करने में बाधा पहुंचाती हैं जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी कं. 2 को भी लिखित शिकायत की किन्तु इसके बावजूद अप्रार्थीगण प्रार्थी के आवागमन में बाधा पहुंचाने से बाज नहीं आ रही हैं। उक्त A से B पुरातन रास्ते में अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 की ख.नं. 521/637 रकबा 0.77 हैक्टर में से 3.50X114=399वर्गमीटर भूमि आती है। इस प्रकार से प्रार्थी के प्रचलित रास्ते में अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 की आराजी खसरा नंबर 521/637 की 0.04 हैक्टर पूर्वी आराजी आती है तथा उक्त क्षैत्र की प्रचलित डी. एल.सी. दर 1,51,939/–रूपये प्रतिबीघा(0.16हैक्टर) होने से रास्ते में जाने वाली कुल भूमि 0.04 हैक्टर की कुल कीमत 37,985/–रूपये बनती है जिसे अदा करने को प्रार्थी तत्पर है। प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–A के प्रावधानों के अनुसार उक्त रास्ते में आने वाली 0.04 हैक्टर भूमि की प्रतिकर राशि अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 को अदा करने को तत्पर है किन्तु अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 द्वैषतावश उक्त रास्ते को बाधित करने को आमादा हैं जिसमें यदि अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 सफल हो गई तो प्रार्थी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी।लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी माल ग्राम मालीहेडा तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवण करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र के नजरी नक्शे में A से B बिन्दु से इंगित पुरातन रास्ते की परिधि में आने वाली ग्राम मालीहेडा तहसील सॉगोद के ख.नं. 521/637 रकबा 0.77 हैक्टर में से 3.50X114=399वर्गमीटर अर्थात् 0.04 हैक्टर पूर्वी भूमि को "गै.मु.रास्ता" घोषित किया जाकर उक्त भूमि को राजकीय खाते में दर्ज किया जावे तथा उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिकर राशि रूबरू अदालत प्रार्थी से प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 को आदेशित किया जावे तथा अदमप्राप्ति प्रतिकर राशि G.A.- 55 में जमा करवाने के आदेश फरमाये जावें तथा माल ग्राम मालीहेडा तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

खाते एवं कब्जेकाश्त की आराजी में ट्रेक्टर–ट्रोली, हल–कूली, बैलगाडी व अन्य कृषि उपकरणों के आवागमन के A से B रास्ते में आवागमन में अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 किसी प्रकार से मदालखत, मजामहत, क्षति, बाधा इत्यादि कारित नहीं करें। उक्त कृत्य न तो अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 स्वयं करें, न ही अपने नौकरों एजेन्टों अथवा अन्य व्यक्तियों से करावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी के खाते की आराजी खसरा नंबर 521 की 0.77 हैक्टर व अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 के खाते की आराजी खसरा नंबर 521/637की 0.77 हैक्टर भूमि ग्राम मालीहेडा में स्थित होना स्वीकार है परन्तु उक्त खसरा नंबर 521 रकबा 0.77 हैक्टर कृषिभूमि का प्रार्थी के कब्जेकाश्त में होना अस्वीकार है। प्रार्थी वक्त खरीद से ही उक्त कृषिभूमि को मुनाफे पर काश्त करवाता आया है। प्रार्थी कभी भी खसरा नंबर 521/637की 0.77 हैक्टर में होकर उसके खेत में आया गया नहीं है। वह हमेशा से अपनी भूमि को मुनाफे पर जुपवाता आया है तथा मुनाफेदार ने उसके खेत में होकर खसरा नंबर 521 की भूमि का उपयोग उपभोग किया है, कभी कभार अप्रार्थीगण का खेत खाली मिलने पर प्रार्थी यहां से अया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी कं. 1 लगायत 3 की आराजी मूल खसरा नंबर 521 रकबा 1.54 हैक्टर से निर्मित होना, इसका एकचक होना, ग्राम मालीहेडा गडार से लगवा स्थित होना स्वीकार है। शेषि जिस प्रकार से लिखि गई है, अस्वीकार है। वास्तविकता यह है कि खसरा नंबर 521 की 1.54 हैक्टर भूमि दो भाईयों के शामलाती खाते की भूमि थी। उन दोनों भाईयों ने आपसी सहमति से मौके पर बंटवारा किया था। उक्त दोनों भाईयों में से एक भाई ने अपनी भूमि प्रार्थी को विकय कर दी थी तथा शेष भूमि जो गडार के लगवा थी, को अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 ने दूसरे भाई से खरीद कर लिया था। वक्त खरीद से गडार के साईड वाली भूमि अप्रार्थी कं. 1, 2,3 के शान्तिपूर्वक कब्जे में चली आ रही है। उक्त भूमि का विभाजन माननीय न्यायालय से हुआ था लेकिन मुकदमें के दौरान प्रार्थी ने अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 के हिस्से की भूमि में से कुछ हिस्से पर जबरन कब्जा कर पत्थरों का कोटा कर लिया व अप्रार्थी कं. 2 के पति धनराज के विरूद्ध धारा 3 एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दिया जिसमें थाने में हुई समझाईश में यह बात तय हुई कि जब मुकदमें का फैसला हो जावेगा, तब राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार कृषिभूमि को मौके पर नपवा लेंगें तथा प्रार्थी अधिक भूमि से कब्जा हटा लेगा। उक्त सहमति बनने के पश्चात् माननीय न्यायालय में लम्बित विभाजन के वाद में दिनांक 15.05.2017 को बंटवारे की डिक्री पारित कर दी गई। उस वक्त भी अप्रार्थी कं. 2 के पति ने प्रार्थी से कहा कि आपका कब्जा 1/2 हिस्से से अधिक भूमि पर

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

है। आप जमीन नपवाकर अपना कब्जा हटा लो, परन्तु उसने आश्वासन देने के बाद भी आपना कब्जा नहीं हटाया, प्रार्थी के उक्त कृत्य के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 आरटीएक्ट के तहत बैदखली का वाद प्रस्तुत किया हुआ है जो वर्तमान में लंबित है। प्राथी ने अप्रार्थीगण की लगभग 0.12 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है जिसे वह हटाने को तत्पर नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

राज्य सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत हुआ कि ग्राम मालीहेडा में खसरा नंबर 521 रकबा 0.77 हैक्टर भूमि रामस्वरूप पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा के नाम राजस्व रिकार्ड में खाता दर्ज है। खसरा नंबर 521/637 की 0.77 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में खाता दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी खसरा नंबर 521/637 तक तो जाने हेतु प्रचलित रास्ता है जो मौके पर कायम है किन्तु वादी के खेत खसरा नंबर 521 तक जाने हेतु रास्ता मौके पर कायम नहीं है जबकि वादी खसरा नंबर 521/637 में से ही निकलकर हकाई जुताई करता चला आ रहा है। वादी को अपने खसरा नंबर 521 में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को कानूनन रास्ता दिया जाता है तो खसरा नंबर 521/637 के पूर्वी तरफ की मेर से 91X3 =273 वर्गमीटर लगभग 0.03 हैक्टर भूमि अधिग्रहित होती है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रकरण में तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी के पास अपनी आराजी में आवागमन करने का वादग्रस्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करना उचित समझता हूं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 521 में आवागमन करने हेतु अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 के नाम दर्ज खसरा नंबर 521/637 रकबा 0.77 हैक्टर में से 0.04 हैक्टर पूर्वी आराजी को गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है, उक्त भूमि को राजकीय खाते में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे तथा उक्त रास्ते में होकर प्रार्थी के आवागमन में अप्रार्थी कं. 1, 2, 3 किसी प्रकार से मदाखलत, मजामहत, क्षति, बाधा कारित नहीं करें। प्रचलित डीएलसी दर 11,38,319/— रूपये प्रति हैक्टर की दर से उक्त रास्ते की उक्त 0.04 हैक्टर भूमि की दौगुनी

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

डीएलसी प्रतिकर राशि 91,070/— रूपये अक्षरे इकानवे हजार इकहत्तर रूपये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी क्रं. 1, 2, 3 को अदा की जावे। तहसीलदार सांगोद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनॉक 04/11/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा
सॉंगोद

Scanned with OKEN Scanner